न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 48/2023 निर्णय दिनांकः 14.03.2024

ऑनलाईन नंबरः 2023/94

1. भंवरी देवी पत्नी रामूराम उर्फ रामेश्वर 2. ओमप्रकाश 3. बाबूलाल 4. विद्याधर 5. मन्जूदेवी 6. सरोजदेवी पुत्रगण/ पुत्रिया रामूराम उर्फ रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासीगण धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट एवं सपठित धारा 88 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के स्थायी निवासीगण है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 452 तादादी 14.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 773 तादादी 13.2900 हैक्टेयर रोही ग्राम धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। वादगत खेतों में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/18 – 1/18 हिस्सा स्थित है। वादगत खेतों की खातेदारी पूर्व में प्रार्थीगण के पति/पिता रामूराम जी के नाम दर्ज थी। प्रार्थीगण के पति/पिता रामूराम जी कि मृत्युपरान्त वादगत खेतो की खातेदारी विरास्तन प्रार्थीगण के नाम से दर्ज की गयी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण के पति/पिता को रामूराम व रामेश्वर दानो ही नामों अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम रामेश्वर दर्ज हैं जबकि वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम रामूराम दर्ज है इसलिए विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम रामूराम दर्ज कर दिया गया। वादगत खेतो के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम शुद्ध दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण के के.सी.सी ऋण लेने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई आ रही है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करवाकर अपने पति/पिता का नाम रामूराम उर्फ रामेश्वर अंकित करवाना चाहते है। प्रार्थीगण वादगत खेतों के खातेदार है। अपने पिता का नाम शुद्ध दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपने पति/पिता का नाम रामूराम उर्फ रामेश्वर शुद्ध अंकित करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.03.20 12:38:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Scanned with OKEN Scanner

हेतु अप्रार्थी से निवदेन किसा तो अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध दर्ज करने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेतों के खातेदार कृषक होने से प्रार्थीगण पत्र प्रस्तुत करने आधार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादगत खेत खसरा नम्बर 452 तादादी 14.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 773 तादादी 13.2900 हैक्टेयर रोही ग्राम धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम रामूराम को शुद्ध किया जाकर रामूराम उर्फ रामेश्वर दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जाने का निवदेन किया है।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकारराज ने जवाब पेश किया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 452 तादादी 14.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 773 तादादी 13.2900 हैक्टेयर रोही ग्राम धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम रामूराम के स्थान पर रामूराम उर्फ रामेश्वर शुद्ध कर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 14.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.03.20 12:38:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner